7 अवैध कब्जाधारियों को प्रधानमंत्री आवास से खाली कराया गया

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के प्रधानमंत्री आवास योजना एचपी अमरपाली फेस वन में की गई कार्रवाई। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर निगम भिलाई द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में हितग्राहियों को मकान आवंटित किया गया था आम्रपाली फेस वन में 7 कब्जाधारीयो में से पांच कब्जे धारी को नगर निगम से मकान आवंटित हो चुका था। उनके द्वारा पूरा पैसा जमा नहीं किया गया था। दूसरे के आवंटित मकान में कब्जा करके रह रहे थे। उनका मकान खाली कराया गया। उनको पूर्व में नोटिस द्वारा सूचना दी गई थी कि जिस मकान में रह रहे हो वह आपका नहीं है। नियमानुसार पूरा पैसा जमा करके ही भौतिक आधिपत्य प्राप्त करके ही अपने मकान में निवास कर सकते हैं। दो कब्जे धारी ऐसे थे जो पूरी तरह अवैध रूप से ताला तोड़कर के निवास कर रहे थे। कब्जे का मकान दूसरे व्यक्ति को लॉटरी द्वारा आवंटित कर दिया जा चुका है। नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा स्वयं सभी सामान बाहर किया गया । अवैध मकान में टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, डबल बेड अलमारी, सोफा, डाइनिंग टेबल, पूरा घर सामग्री से सजा लिया गया था। मकान खाली करने में बहुत समय लग रहा था। नगर निगम की टीम एवं पुलिस विभाग की टीम मौके पर उपस्थित रही। सूचना देने के बाद जब खाली नहीं किया तो जोन कमिश्नर बी के वर्मा स्वयं मौके पर उपस्थित होकर नगर निगम के कर्मचारियों के सहयोग से घर को खाली करवा रहे थे। जोन कमिश्नर ने बताया की नगर निगम भिलाई द्वारा लोन की सुविधा बैंकों से प्रधान करवाई जा रही है। हितग्राही बैंक से लोन ले सकते हैं, लोन लेकर पैसा जमा कर देवे फिर नियमानुसार निवास करें। इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में बने मकान में अवैध रूप से घुसने वालों पर शक्ति से कार्रवाई की जाएगी। अवैध कब्जा करके खरीदी बिक्री भी ना करें। ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि कुछ लोग अवैध कब्जा करके मकान की सौदेबाजी कर रहे थे। दूसरों को बेचने के लिए। यह पूरी तरह से अवैध होगा संबंधित के खिलाफ पित दर्ज किया जाएगा सावधान रहें। कार्रवाई के दौरान अभियंता अजय गौर, राजस्व अधिकारी मलखान सिंह सोरी, प्रभारी अधिकारी विद्याधर देवांगन, निगम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।